BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Vol. XXXXV 14th May 2014 No. 8

चैम्बर द्वारा संचालित निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का दूसरा बैच प्रारम्भ

सिलाई-कटाई का प्रशिक्षण ग्रहण करती दूसरे बैच की प्रशिक्षु महिलाएं एवं प्रशिक्षण देती प्रशिक्षिकाएं

महिला सशक्तिकरण हेतु बिहार सरकार महिलाओं में कौशल एवं हुनर में वृद्धि हेतु काफी प्रयत्नशील है। इसी भावना के आलोक में और अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने अपने प्रांगण में एक निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र, आधार महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति के सहयोग से प्रारम्भ किया है।

प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने दिनांक 08 फरवरी, 2014 को किया था। प्रथम बैच का प्रशिक्षण दिनांक 10 फरवरी, 2014 को प्रारम्भ हुआ। प्रथम बैच में 70 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। दो पालियों मे प्रशिक्षण दिया गया। प्रत्येक पाली में 35-35 प्रशिक्षु महिलाएं थीं।

प्रशिक्षण दो प्रशिक्षिकाओं सुश्री ममता सिन्हा एवं श्रीमती दुर्गा बनर्जी ने दिया। चैम्बर कार्यालय से सुश्री माधवी सेन गुप्ता इस प्रशिक्षण केन्द्र की इंचार्ज हैं।

दिनांक 24.04.2014 को प्रथम बैच की परीक्षा हुई जिसमें 68 प्रशिक्षणार्थी शामिल हुई। प्रशिक्षणार्थी महिलाओं को मुख्यत: सिलाई का जो प्रशिक्षण दिया गया, वे हैं :-

• जंघिया • 6 कली का पेटीकोट • 4 कली का पेटीकोट • सिम्पल फ्रॉक • तकिया कवर • बेबी फ्रॉक • बेबी पैन्ट • नाईटी • पैजामा • ब्लाउज • सलवार-समीज।

चैम्बर ने सिलाई मशीन एवं आवश्यक फर्निचर आदि प्रशिक्षण केन्द्र के लिए खरीद कर दिया है। प्रथम सत्र का समापन दिनांक 30 अप्रील 2014 को हुआ।

दिनांक 01 मई, 2014 से दूसरे बैच का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। प्रथम बैच की प्रशिक्षिकाएं ही दूसरे बैच के प्रशिक्षु महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं। दूसरे बैच में 75 महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं। पूर्व की भांति दो पालियों मे प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। प्रथम बैच की तरह ही इस बैच में भी 12 तरह की सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

चैम्बर अध्यक्ष ने सदस्यों से आग्रह किया है कि किसी भी कार्य दिवस में (शनिवार को छोड़कर) पूर्वाहन् 11.00 बजे से अपराहन् 3.00 बजे के बीच चैम्बर पधारकर प्रशिक्षण केन्द्र का अवलोकन करें।

तेरह बैंक हुए ब्लैक लिस्टेड

वार्षिक साख योजना के तहत ऋण वितरण में कोताही पर उठाया कदम

किसानों को क्रेडिट कार्ड नहीं दिए। प्राथमिकता के आधार पर पुराने किसान क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल के मामलों को भी कुछ बैंकों ने ताक पर रखा दिया।

किसान दौड़ते रहे और बैंक जमा पर ब्याज जोड़ने में व्यस्त रहे। इसी तरह रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाओं को ले भी बड़े स्तर पर बेरूखी दिखाई। इस तरह से टारगेट को ताक पर रखने वाले और आम लोगों के बारे में सोचने की फुर्सत नही रखने वाले बैंकों को सरकार ने नमस्कार कर लिया है। इनके साथ अब किसी तरह का कोई बिजनेस नहीं करेगी सरकार। इन बैंकों में सरकारी पैसे नहीं रखे जाएंगे ताकि उससे मिलने वाले ब्याज से इनका खजाना लबालब नहीं हो। वित्त विभाग ने सभी विभागों के प्रधान सचिवों को यह निर्देश जारी किया है कि तेरह बैंकों की शाखाओं में अब सरकारी राशि जमा नहीं करें। इस बारे में सभी जिलाधिकारियों को भी वित्त विभाग के स्तर से निर्देश भेजा गया है।

इन बैंकों में नहीं जमा होगी राशि : केनरा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, विजया बैंक, जम्मू एवं कश्मीर बैंक, वैश्य बैंक, कर्नाटका बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, भूमि विकास बैंक और टीयूसीबी।

वित्त विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह के स्तर से जारी निर्देश में कहा गया है कि इन बैंकों ने वार्षिक साख योजना के तहत दिए गए लक्ष्य में न्यूनतम टारगेट को भी हासिल नहीं किया। वार्षिक साख योजना के तहत जब लक्ष्य तय होते हैं तो बैंकों को ऋण-जमा अनुपात को बेहतर करने का टारगेट दिया जाता है।

विशेषकर प्राथमिकता वाले क्षेत्र एवं कृषि प्रक्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने का लक्ष्य मिलता है। बैंकों के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन नीति की जब घोषणा की गयी थी तो यह तय किया गया कि बैंकों को टारगेट के हिसाब से जो अंक मिलने हैं वह कम से कम 33 जरूर होना चाहिए।

(साभार हिन्दुस्तान, 7.5.2014)

टैक्स वसूली के लिए नहीं की जा सकती ई-सुविधा समाप्त

जबरन टैक्स वसूली के लिए किसी डीलर को दी गई ई-सुविधा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। पटना हाईकोर्ट ने ई-सुविधा समाप्त करने संबंधी कार्रवाई को अवैध ठहराते हुए राज्य सरकार को तुरंत इसे बहाल करने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश रेखा एम दोषित व न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने गैमन इंडिया लिमिटेड कंपनी की ओर से दायर रिट याचिका को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया। कंपनी ने आरोप लगाया था कि बिहार वैट एक्ट के तहत सभी डीलरों को ई-सुविधा दी गई है, लेकिन उसे ई-सुविधा से वंचित कर दिया गया है।

नियम के तहत हो वसूली : राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि आवेदक कंपनी के यहां टैक्स बकाया है, जिसकी वसूली के लिए ही यह कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारी ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करने की इजाजत दे दी जाती है, तो संबंधित अधिकारी हर प्रकार का अवैध तरीका टैक्स वसूली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार एक्ट के प्रावधानों के तहत टैक्स वसूली की कार्रवाई कर सकती है और इसमें यह आदेश बाधक नहीं होगा। टैक्सेशन बार एसोसिएशन ने बताया कि एसोसिएशन की ओर से भी इस मामले को कई बार विभाग के सामने उठाया था, लेकिन इसपर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

पटना उच्च न्यायालय का उपर्युक्त आदेश चैम्बर कार्यालय में उपलब्ध है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 3.2.2014)

टेंडर में ब्रांड के नाम के इस्तेमाल पर रोक

चैम्बर ने कहा, आदेश स्वागतयोग्य

सरकार ने सामान की खरीद के टेंडर में ब्रांड के नाम के उल्लेख पर रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने उद्योग संघों की आपत्ति के बाद यह निर्णय लिया है और सभी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला पदाधिकारियों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने को कहा है।

विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि टेंडर में ब्रांड के नाम के उल्लेख के कारण राज्य में स्थित औद्योगिक इकाइयाँ इसमें हिस्सा लेने से वंचित रह जाती थीं। जो राज्य के औद्योगिक हित के विपरीत है। हालांकि विभाग ने ऐसी सामग्री में ब्रांड के नाम के उल्लेख की अनुमति दे दी है, जिसका निर्माण विशिष्ट फर्म के द्वारा किया जाता है।

इस बीच बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। चैंबर के अध्यक्ष पी० के० अग्रवाल ने कहा कि राज्य के उद्यमी लंबे समय से इस बाध्यता को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से राज्य में निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और वे विकास कर सकेंगी। **(साभार : दैनिक भास्कर : 26.4.2014)**

बिहार में खरीद नीति में होगी फेरबदल

बिहार सरकार ने राज्य में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपनी खरीद नीति में फेरबदल करने का फैसला लिया है। इसके तहत राज्य सरकार अपनी कुल खरीद का एक हिस्सा स्थानीय उत्पादकों से खरीदेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने एक उत्पाद डाइरेक्ट्री तैयार की है।

उद्योग विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य सरकार अपनी जरूरत की वस्तुएं खरीदने में इस डाइरेक्ट्री में शामिल निर्माताओं को प्राथमिकता देगी। विभाग के अधिकारी ने बताया, 'राज्य के कारोबारी इस बारे में काफी अरसे से मांग कर रहे थे इसलिए हमने इस बारे में कदम उठाने का फैसला लिया है। राज्य सरकार की नई खरीद नीति पर मोटे तौर पर काम पूरा हो चुका है। इस बारे में आखिरी स्तर की तैयारी चल रही है। अब हम इसे लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे राज्य में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।'

सूत्रों के मुताबिक इस नीति के तहत राज्य सरकार ने अपनी जरूरत का कम से कम 10-20 फीसदी माल स्थानीय निर्माताओं से खरीदने का फैसला लिया है। बिहार के कारोबारी स्थानीय निर्माताओं को संरक्षण देने के लिए बीते कई सालों से राज्य सरकार से खरीद नीति की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने 2012 में इस बारे में कदम उठाने का फैसला लिया। **(विस्तृत: बिज़नसे स्टैंडर्ड, 28.4.2014)**

बैंकों में करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित

मुंबई में चुनाव के कारण राज्य के सभी बैंकों में उपभोक्ताओं को आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटेलमेंट) और एनइएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) सुविधा नहीं मिली। जिससे करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ और उपभोक्ता निराश लौटे।

बैंक अधिकारियों में अनुसार मुंबई में चुनाव के कारण 24.04.2014 को रिजर्व बैंक में अवकाश था। इस कारण बैंकों के सर्वर काम नहीं कर सके और यह सुविधा स्थागित करनी पड़ी। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बैंकों द्वारा आरटीजीएस और एनईएफटी सुविधा स्थगित करने पर चिंता व्यक्त की है। चैबर अध्यक्ष पी० के० अग्रवाल ने कहा है कि 24 अप्रैल को राज्य के किसी भी बैंक में उपभोक्ताओं को आरटीजीएस और एनईएफटी की सुविधा नहीं मिलने से कारोबार तो प्रभावित हुआ ही आमजन को भी काफी परेशानी हुई। **(साभार: हिन्दुस्तान, 25.4.2014)**

पत्रांक-एम-4-48/2012/3702 / वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक :- 25.4.2014

विषय :- सामग्रियों के क्रय हेतु प्रकाशित की जाने वाले निविदा में Brand Name का उल्लेख नहीं करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि उद्योग संघों द्वारा इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है कि कतिपय विभागों एवं सरकारी निकायों/लोक उपक्रमों द्वारा सामग्रियों के क्रय हेतु प्रकाशित की जाने वाली निविदा में Brand Name का उल्लेख किया जाता है जिसके चलते राज्य में अवस्थित औद्योगिक ईकाइयाँ उक्त निविदा में भाग नहीं ले पाती है। निविदा में unreasonable specifications या किसी विशेष Brand Name का उल्लेख किया जाना राज्य में स्थित उद्योग के हित में नहीं है।

अनुरोध है कि सामग्रियों के क्रय हेतु प्रकाशित की जाने वाली निविदा में किसी विशेष Brand Name का उल्लेख नहीं किया जाय, जबतक कि बिहार वित्तीय (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम-131 ठ के उप नियम (i) के अनुसार वांछित सामग्रियों का विनिर्माण एक ही विशिष्ट फर्म में होता हो। सामग्रियों के क्रय हेतु BIS/ISO mark के अनुरूप विशिष्टता का उल्लेख करते हुए निविदा का प्रकाशन कराया जाय।

कृपया दिए गए निर्देश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों / सरकारी निकायों / लोक उपक्रमों को उक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाय।

विश्वासभाजन,
(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव

कर चोरी रोकने के लिए बनेगा नया डाटा केंद्र

आयकर विभाग ने कर चोरी करने वालों की पहचान का काम तेज करने का फैसला किया है। विभाग ने ऐसे लोगों की पहचान के लिए एक प्रमुख डेटा केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है जिसमें इस तरह की जानकारी रखी जाएगी। आयकर विभाग ने इस तरह के केंद्र इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइलिंग और स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस से जुड़ी सूचनाओं के बारे में बनाए हैं। इस नए कार्यालय का नाम केंद्रीकृत प्रसंस्करण प्रकोष्ठ-अनुपालन प्रबंधन (सीपीसी-सीएम) होगा। यह राष्ट्रीय राजधानी में बनाया जाएगा और इसके लिए समर्पित कर्मचारियों की एक टीम बनाई जाएगी जो इसे चलाएगी। आयकर विभाग इससे पहले भी दो केंद्रीकृत प्रंसस्करण केंद्र बना चुका है। **(साभार: हिन्दुस्तान, 26.4.2014)**

टैक्स वसूली को सर्टिफिकेट ऑर्गनाइजेशन

टैक्स वसूली के एक नए सिस्टम की तैयारी चल रही है। मामला वाणिज्य कर विभाग से संबंधित है। पश्चिम बंगाल की तर्ज पर विभाग के अधीन एक सर्टिफिकेट ऑर्गनाइजेशन गठित करने के प्रस्ताव का अध्ययन वित्त विभाग कर रहा है। इसके तहत वाणिज्य कर सहायक आयुक्त को सर्टिफिकेट अफसर की शक्ति प्राप्त होगी। इस बाबत बने प्रस्ताव में यह कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में वाणिज्य कर विभाग के बकाया राशि की वसूली के लिए सर्टिफिकेट ऑर्गनाइजेशन है। इसी तर्ज बिहार में भी ऐसा ऑर्गनाइजेशन गठित हो। नौ प्रमंडलों पर एक ऑर्गनाइजेशन काम करेगा। वाणिज्यकर विभाग के एक संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी के अधीन बीस करोड़ रुपए वार्षिक से ज्यादा कर संग्रह करने वाले अंचल होंगे। **(साभार : हिन्दुस्तान, 26.4.2014)**

फॉर्म 2 व 5 हो गए और भी सरल

आयकर विभाग ने कहा कि रिटर्न दाखिल करनेवालों को होगी सुविधा

आयकर विभाग ने असेसमेंट वर्ष 2014-15 के लिए आईटीआर एक (सहज) आईटीआर 4 एस (सुगम) के साथ-साथ आईटीआर 2 और 5 की संशोधित यूटिलिटी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। सीबीडीटी का कहना है कि इस बार आईटीआर 2 और आईटीआर 5 में काफी परिवर्तन किया गया है, जिससे विभाग के साथ-साथ रिटर्न दाखिल करने वालों को भी सहूलियत होगी।

इस बार सबसे ज्यादा परिवर्तन आईटीआर 2 में हुआ है। फॉर्म को स्ट्रीम लाइन करने के लिए ऐसा किया गया है। यह फॉर्म देखने में तो काफी बड़ा हो गया है, लेकिन इसमें काफी चीजें लिंक्ड हैं। इसका मतलब है कि यदि एक जगह आपने जानकारी भर दी है तो कुछ और वह सूचना अपने आप भर जाएगी। पहले के फॉर्म में चीजें ठीक से परिभाषित नहीं थी, इसलिए इसे ठीक कर दिया गया है।

फॉर्म में विदेशों में किये गए टैक्स क्रेडिट को भी जगह दी गई है। आय कर कानून में अन्य स्त्रोत में काफी चीजें शामिल की गई हैं, जिनमें कैपिटल गेन और लॉटरी, जुआ आदि भी शामिल हैं। आईटीआर 5 में यदि प्रोफेशनल आमदनी 25 लाख व कारोबारी आमदनी एक करोड़ रुपए से ज्यादा है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से सेक्शन 44 एबी के तहत ऑडिट सर्टिफिकेट भी लेना होगा। विभाग ने इसी वर्ष से आईटीआर 2 और 5 को ऑनलइन भरना अनिवार्य कर दिया है।

(साभार: दैनिक भास्कार, 14.4.2014)

वाणिज्य कर अंचल बंटेंगे मार्केट वार्ड में

मॉनिटरिग और नियंत्रण को लेकर वाणिज्य कर अंचलों को मार्केट वार्ड के रूप में विभाजित करने प्रस्ताव पर वित्त विभाग के स्तर पर विमर्श चल रहा है। इसके अलावा सभी बड़े वाणिज्य कर अंचलों में उपायुक्त स्तर के अधिकारी को पदस्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है।

जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स लागू होने के बाद सभी सेवा प्रदाताओं का भी सर्वेक्षण व निबंधन जरूरी होगा। इसके अतिरिक्त अंचलों में बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम के तहत निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने के एक माह के भीतर जांच की बाध्यता है। अधिकारियों की कमी से निबंधन जांच की प्रक्रिया से संबंधित काम संभव नहीं हो पा रहा है। इन कार्यों को निबटाने के लिए प्रत्येक अंचल की मॉनिटरिग नियंत्रण के लिहाज से मार्केट वार्ड में बांटने का प्रस्ताव है। पटना के संदर्भ में बताया गया कि यहां के 17 अंचलों को आठ-आठ मार्केट वार्ड और शेष 38 अंचलों को पांच-पांच वार्ड में बांटा जाएगा। इस हिसाब से इन अंचलों में 326 वार्ड होंगे। इनमें 652 निरीक्षकों के पद सृजित किए जाने का प्रस्ताव है।

(साभार: हिन्दुस्तान, 28.4.2014)

राज्य के 25 हजार व्यापारी फंस सकते हैं ऑडिट में

राज्य के लगभग 25 हजार व्यापारियों के वाणिज्य कर विभाग के ऑडिट में फंसने की आशंका है। विभाग के अधिकारी ने बताया कि विभाग वैट (बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम) 2005 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड व्यावसायियों के वित्तीय वर्ष 2012-13 के व्यवसाय का ऑडिट करेगा। इसके लिए विभाग ने 17 बिन्दुओं का मापदंड बनाया है। विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही 25 हजार व्यापारियों की सूची भी बना ली है।

क्या हैं मापदंड : • समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करना • सामान के परिवहन में घोषणा पत्र का दुरुपयोग • बिना कैशमेमो सामान की खरीद-बिकी • गलत टैक्स इंवाइस के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट • तीन वर्षों में खरीद-बिक्री छुपाने का मामला • ट्रांजिट सेल का दावा लिया हो • तीन साल से 2 लाख से अधिक का डिस्काउंट लिया हो • एक लाख से अधिक आईटीसी कैरी फॉरवर्ड दिखाया हो • कोई वांछित प्रतिवेदन समय सीमा के अंदर दाखिल नहीं किया हो • शराब के सभी थोक व्यापारी • दूसरे देश में सामान भेजने और उनका दावा रिटर्न में दिखाया हो • कांट्रेक्ट के केस में 10 करोड़ से अधिक ट्रांजेक्शन होने पर, परंतु सरकारी उपक्रम नहीं। • वैसे व्यापारी जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्लाईवुड हाडवेयर, सेनेटरी गुडस एण्ड फिटिंग्स, ऑटो पाट्स, फुटवेयर, टिम्बर, चश्मा, मार्बल एवं ग्रेनाइट के राज्य के बाहर से मंगवा कर बिक्री किया गया हो • जो कंपनी सामान का उत्पादन कर ट्रेडिंग करता हो • वर्ष 2012-13 में दो करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत कर देने वाला हो • वर्ष 2012-13 में 50 लाख से अधिक वैट प्रतिपूर्ति की राशि लेने वाला।

कौन नहीं आएंगे : • लघु करदाता योजना के व्यापारी • पेट्रोल पम्प • शराब के खुदरा व्यापारी • एमआरपी के खुदरा व्यापारी जैसे दवा, खाद एवं कीटनाशक • वर्ष 2011-12 में एक करोड़ से अधिक एवं वर्ष 12-13 में 100 प्रतिशत अधिक राजस्व दिया हो। **(साभार: हिन्दुस्तान, 1.5.2014)**

तिमाही रिटर्न भरने की तिथि बढ़ी

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के चतुर्थ तिमाही का रिटने भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। वाणिज्य कर विभाग से रजिस्टर्ड डीलर अब 15 मई 2014 तक विवरणी जमा कर सकेंगे। इसके पहले विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2014 थी। बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर विभाग ने 15 दिन के लिए तारीख आगे बढ़ायी है। इधर व्यापारी की ओर से भी यह मांग की गई थी कि रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढायी जाए। उनकी मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने रिटर्न भरने की तिथि 15 दिनों के लिए बढ़ा दी है। **(साभार: हिन्दुस्तान, 1.5.2014)**

अंचल कार्यालय में नहीं है नई रसीद, करदाता परेशान

निगम की लापरवाही के कारण सिटी अंचल के लोग टैक्स में मिलने वाली पांच फीसदी छूट से वंचित हैं। अंचल कार्यालय में चालू वित्तीय वर्ष की नई रसीद अभी तक नहीं पहुंचने से समस्या है। करदाता योजना का लाभ दिलाने की मांग कर रहे हैं।

अंचल कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि रसीद मुख्यालय भेजता है। आते ही राजस्व उगाही शुरू हो जाएगी। **(साभार: हिन्दुस्तान, 1.5.2014)**

उद्यमियों को मिलेगी मदद

बिहार सरकार लघु एवं छोटे उद्यमियों के लिए बनाएगी कोष
निवेश को भी मिलेगी रफ्तार

बिहार से निवेशकों की बेरुखी खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने अब उद्यमियों की आर्थिक मदद करने का फैसला लिया है। इसके तहत राज्य सरकार लघु और छोटे स्तर के प्रस्तावित उद्यमियों के लिए एक कोष बनाने जा रही है। साथ ही, इसकी निगरानी भी राज्य सरकार एक उच्च स्तरीय समिति को देगी।

औद्योगीकरण पर जोर : • राज्य सरकार अच्छे प्रस्तावों के लिए उद्यमियों को शुरुआती पूंजी मुहैया कराएगी • लघु एवं छोटे उद्यमियों की मदद के लिए 100 करोड़ रुपये के कोष की मंजूरी • इसमें 25 करोड़ रुपये राज्य सरकार जबकि बाकी रकम राज्य में मौजूद उद्योग संगठनों की मदद से बाजार से जुटाई जाएगी • राज्य में निवेश को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद, पिछले दो साल के निवेश की गति हुई धीमी। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 3.5.2014)**

उद्योग लगाने वाली कंपनियों को मिलेगी विशेष छूट

राज्य में आईटी उद्योग लगाने पर उद्योगपतियों को विशेष छूट मिलेगी। अलग से सिंगल विंडो स्टिम की व्यवस्था तो होगी ही कैपिटल सब्सिडी (पूंजीगत अनुदान) भी दूसरे उद्योगों से अधिक मिलेगी। वैट की तरह सेंट्रल सेस की प्रतिपूर्ति करने पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है।

कंपनियों को रियायती दर पर स्थान मुहैया कराने के बाद राज्य में आईटी हब बनाने का दिशा में सरकार की यह बड़ी पहल है। सरकार को उम्मीद है कि अगर ये फैसले लागू होते हैं तो राज्य में आईटी सेक्टर में पांच हजार करोड़ से अधिक निवेश

होगा। इससे पांच लाख युवकों को रोजगार का नया अवसर मिलेगा। राज्य सरकार कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कई नये छूट देने पर विचार कर रही है। कैपिटल सब्सिडी को 50 प्रतिशत करने पर विचार चल रहा है। दूसरे उद्योगों के लिए यह 35 प्रतिशत है।

आईटी कंपनियों को इस मद में अधिकतम तीन करोड़ रुपये तक अनुदान मिल सकता है दूसरी कंपनियों के लिए अधिकतम सीमा मात्र दो करोड़ है। तीन वर्षों तक सेन्ट्रल सेस में 35 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति और विलासिता करों से मुक्त रखने का प्रस्ताव भी सरकार के पास है। **(विस्तृत: हिन्दुस्तान, 26.4.2014)**

फंसे कर्ज को बेचने से कतरा रहे हैं निजी बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपनी गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) यानी वसूल नहीं हो रहे कर्जों का बोझ कम करने के लिए जहाँ मार्च में समाप्त तिमाही में परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) का रुख किया, वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों को यह रास्ता रास नहीं आ रहा।

निजी बैंको ने एनपीए घटाने के लिए एक तरह से एआरसी को पूरी तरह नकार दिया है। गौरतलब है कि एआरसी कंपनियां बैंकों के ऐसे ऋणों को सस्ते में खरीद लेती हैं और उसके बाद उसकी वसूली का दायित्व उन कंपनियों का रहता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मार्च तिमाही में अपना 10,000 करोड़ रूपए का खराब ऋण परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों को बेचा है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने तिमाही के दौरान 4,000 करोड़ रुपए का एनपीए एआरसी को बेचा। एसबीआई के 200 साल के इतिहास में यह पहला मौका रहा, जबकि उसने एनपीए की बिक्री की। दिसम्बर तिमाही में एसबीआई की सकल गैर निष्पदित अस्तियां कुछ ऋण का 5.3 फीसद या 67,800 करोड़ रुपये थी।

वहीं दूसरी और निजी क्षेत्र के सबसे बड़े आईसीआईसीआई बैंक का एनपीए अनुमान मार्च में समाप्त तिमाही तक 3.03 प्रतिशत था। बैंक की प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी चंदा कोचर ने कहा कि आईसीआई बैंक ने अपना एक पैसे का ऋण भी एआरसी को नहीं बेचा है। एचडीएफसी बैंक के उप प्रबंध निदेशक परेश सुखतंकर ने कहा कि बैंक ने 6 करोड़ रुपये का एनपीए एआरसी को बेचा है, जबकि यस बैंक ने अपना 12 करोड़ रुपये का फंसा कर्ज एआरसी को बेचा। निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े एक्सिस बैंक के प्रबंधन का मानना है कि मार्च की अवधि में की गई एआरसी की बिक्री बहुत सीमित रही। रिजर्व बैंक ने कहा कि इससे सबसे ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रभावित होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए मार्च, 2015 तक 4.9 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा, जबकि इस दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों का एनपीए 2.7 प्रतिशत होगा। **(विस्तृत: राष्ट्रीय सहारा, 28.4.2014)**

जारी होंगें 10, 50 व 100 के नए नोट

भारतीय रिजर्व बैंक 10, 50 और 100 रुपये का नया नोट जारी करेगा। 100 रुपये के नोट दो तरह के होंगे। एक 'ई' इनसेट लेटर के साथ होगा, और दूसरा 'एल' इनेसट लेटर के साथ। सभी नए नोट महात्मा गांधी श्रृंखला 2005 के अंतर्गत जारी किए जाएंगे। नए नोटों की डिजाइनें भी इसी श्रृंखला के अंतर्गत पूर्व में जारी 10, 50 और 100 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के समान होगी। आरबीआइ के गवर्नर डा. रघुराम राजन के हस्ताक्षर वाले इन नोटों के अग्र तथा पृष्ठ भाग पर रुपये का प्रतीक चिह्न होगा। पूर्व में जारी 10, 50 एवं 100 रूपये के नोट भी वैध मुद्रा बने रहेंगे। आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी पर पांच रुपये का नया सिक्का भी जारी होगा।

'एल' लेटर वाला 100 रु : 100 रुपये मूल्यवर्ग के नए नोट के दोनों संख्या पटलों में 'एल' इनसेट लेटर रहेगा, पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष 2014 अकित होगा। **'ई' लेटर वाला 100 रुपया :** इन नोटों के दोनों संख्या पटलों में 'ई' इनसेट लेटर तथा पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष 2014 अंकित होगा। **50 रुपये :** इन नोटों के दोनों संख्या पटलों में 'एल' इनसेट लेटर तथा पृष्ठ भाग पर मुद्रण वर्ष 2014 अंकित होगा। **10 रुपये :** 10 रुपये के नए नोटों के दोनों संख्या पेनलों में इनसेट लेटर 'ए' होगा। **5 का नया सिक्का :** आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी पर आरबीआइ पाँच रुपये का नया सिक्का भी जारी करेगा। इन सिक्कों की डिजाइन और आकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा 18 दिसंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। ये सिक्के भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत वैध मुद्रा माने जाएंगे। इन मूल्यवर्गों के वर्तमान सिक्के भी वैध मुद्रा बने रहेंगे। **(साभार: दैनिक जागरण, 24.4.2014)**

Centre evaluates Bihar thermal prioject site

AMBITIOUS *Land for 4,000 MW ultra mega power project has been identified, coal linkage to be allotted soon*

The power ministry is evaluating a site in Bihar for setting up a 4,000 MW ultra mega power project and has approached the coal ministry for allocation of a nearest coal block for the thermal plant.

(Details : Hindustan Times, 3.5.2014)

अब घर पर ही हो जाएगा बिजली बिल का भुगतान

बिजली विभाग के उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। लाइन लगाने की तो बात ही छोड़िए अब बिजली बिल का भुगतान करने के लिए घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं होगी। दरअसल, मीटर रीडर पॉश मशीन लेकर अब आपके घर पर पहुंचेगे। क्रेडिट अथवा डेबिट काई के जरिए स्वाइप कर बिल का भुगतान पॉश मशीन के जरिए हो जाएगा। एसबीआइ के साथ साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ एक करार हुआ है। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 1.5.**

शुरू होगा चौसा बिजली पावर प्लांट का कार्य

• बक्सर में गंगा नदी में पावर प्लांट बनाने के लिए किसानों से किया जा रहा जमीन का अधिग्रहण, चल रही कवायदें • 1300 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन • 1079 एकड़ भूमि में लगेगा प्लांट। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 23.4.2014)**

पटना एवं पटना सीटी के फ्यूजकाल सेंटरों के नबंर

• नूतन राजधानी : 0612-2215346 • एमएलए फ्लैट : 7763813922 • बोर्ड कालोनी : 7763813925 • मौर्यालोक : 7763813946 • बंदर बगीचा : 7763813947 • एसके पुरी : 7763813933 • ए.एन. कालेज : 7763813934 • पाटलिपुत्र : 7763813935 • सदाकत आश्रम : 0612-2260164 • गर्दनीबाग : 7763813929 • अनीसाबाद : 7763813930 • जक्कनपुर : 0612-2241555 ओल्ड दीघा : 7763813940 • गाड़ीखाना : 7763813938 • खगौल : 7763813943 • फुलवारीशरीफ : 7763813942 • सगुना मोड़ : 0612-3210808 • एस. के. मेमोरियल : 7763813901 • पीएससीएच : 7763813902 • राजेन्द्र नगर : 7763813903 • सैदपुर : 7763813904 • मछुआ टोली : 7763813905 • गाय घाट : 7763813906 • मीना बाजार : 7763813907 • पत्थर की मस्जिद : 8083734552 • मंगल तालाब : 7763813912 • कटरा : 7763813909 • पादरी की हवेली : 0612-2641840 **(साभार: दैनिक जागरण, 21.4.2014)**

30 सितम्बर तक खुद बढ़ा सकते हैं विद्युत लोड

सूबे की दो बिजली कंपनियों साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और नार्थ बिहार बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में अधिसूचना जारी कर बिजली का स्वयं लोड बढ़ाने वाली स्कीम की अवधि 30 सितम्बर 2014 तक बढ़ा दी है। पिछले साल जुलाई से इस स्कीम को लांच किया गया था। इसके बाद दो बार इसकी अवधि बढ़ायी गयी।

निर्धारित अवधि के भीतर उपभोक्ता अपने लोड की जांच स्कीम के तहत नहीं करेंगे तो पहली अक्टूबर 2014 से लोड की जांच करने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान उपभोक्ता स्वीकृत लोड से ज्यादा इस्तेमाल करते पकड़े गए तो न्यूनतम 3000 एवं अधिकतम 11500 रुपए जुर्माना देना होगा।

आंकलित भार पर विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को कुल कितनी राशि का भुगतान करना होगा। यह भी घोषणा पत्र वाली विवरणी में वर्णित है। इस तरह लो टेंशन वाले उपभोक्ता अपने भार की स्वघोषणा विहित प्रपत्र में करते हुए निर्धारित राशि को कंपनी के किसी भी संग्रहण केन्द्र पर जमा कर भार को उसी दिन से बढ़ा सकते हैं। **(विस्तृत: राष्ट्रीय सहारा, 29.4.2014)**

हर बिजली उपभोक्ता का यूनिक कोड बनेगा

गर्मी में बिजली कट की समस्या से निजात दिलाने के लिए पेसू अब हर उपभोक्ता का यूनिक कोड बनाएगा। यह 14 अंकों का होगा। हर उपभोक्ता के बिजली बिल पर यह अंकित रहेगा। इसमें डिविजन, सब डिविजन, सेक्शन, पावर सब स्टेशन,

फीडर एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के साथ उपभोक्त का भी कोड रहेगा। इससे बिजली चोरी रुकेगी, समय पर बिल मिलेगा और ट्रांसफार्मर ट्रिप होने पर तुरंत बनाया जा सकेगा। साथ ही, पेसू के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को एक अप्रैल से 31 मई के बीच राजधानी के सभी उपभोक्ताओं को यूनिक कोड देने का आदेश दिया है।

(विस्तृत: दैनिक भास्कर, 28.4.2014)

बकाया टैक्स नहीं चुकाने पर संपत्ति जब्त करेगा नगर निगम

बकाया टैक्स न चुकाने पर अब नगर निगम आपकी चल-अचल संपत्ति जब्त कर सकता है। उसे यह अधिकार पटना नगर निगम कर तथा गैर कर राजस्व वसूली विनियम-2013 से प्राप्त हुआ है। नगर निगम को अब बकाएदारों की संपत्ति जब्त करने के बाद बेचने का भी अधिकार होगा। (विस्तृत: हिन्दुस्तान, 21.4.2014)

व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्र की अधिसूचना हो जारी

पटना हाईकोर्ट ने अवैध अपार्टमेंट और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टीम गठित करने को कहा है। अदालत ने राज्य सरकार को 5 मई तक जवाब देने को कहा है कि पटना में आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र कहां-कहां है। इसकी अधिसूचना जारी हुई है या नहीं? यदि नहीं हुई है तो कब तक अधिसूचना जारी होगी। (विस्तृत: दैनिक जागरण, 23.4.2014)

कमिशनर करेंगे नक्शा पास

डेढ़ साल से नगर निगम की ओर से प्लानिंग रिपोर्ट पर रोक लगी है। दो महीने पहले 51 आर्किटेक्ट के पैनल को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद विभाग के पास प्राब्लम आयी कि अब नक्शा पास करने की जिम्मेवारी किसे मिलेगी। डिपार्टमेंट ने इसको लेकर बिहार म्यूनिसिपल कंपीटेंट अथॉरिटी फॉर सैंक्शन ऑफ बिल्डिंग प्लान रूल्स 2014 की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसके अनुसार अब चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर ही नक्शा पास करेंगे। इसकी प्रक्रिया नगर निगम में शुरू हो गयी है, लेकिन फिलहाल कुछ होने नहीं जा रहा है। क्योंकि पूरी प्रक्रिया को ग्राउंड लेवल में लाने पर लगभग दो महीने लग जाएंगे। जानकारी हो कि पिछले चार साल में पास हुए नक्शे में आयी गड़बड़ी के बाद नगर निगम ने प्लानिंग रिपोर्ट पर ब्रेक लगा दिया था। इस दौरान निगम कमिश्नर ने कहा था कि जब तक सारे नक्शे की जांच नहीं होगी तब तक किसी भी तरह की प्लानिंग रिपोर्ट नहीं दी जाएगी।

....तो नक्शा कोई कैसे पास करे : इस संबंध में बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मणिकांत ने कहा कि जब निगम की ओर से रोक लगी थी तो कहा गया था कि बिल्डिंग बायलॉज के आने के बाद यह रोक हटेगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। अब तक बिल्डिंग बायलॉज फाइनल नहीं हो पाया है। ऐसे में यह कहना कि नक्शा कौन पास करेगा, कोई महत्व नहीं रखता है। बिल्डिंग एसोसिएशन को नक्शा पास होने से मतलब है, जो भी पास करें। इस पर से रोक हटवाना जरूरी है। चाहे वो नगर निगम एरिया हो या फिर नगर परिषद कंस्ट्रक्शन पूरी तरह डगमगा गया है। (विस्तृत: आई-नेक्स्ट, 13.4.2014)

ईंट से ईंट जोड़ने के इंतजार में फंसा रुपया 10 हजार करोड़

दो बड़ी वजहें नहीं पास हो रहा नक्शा, बिल्डिंग बायलॉज लागू होने में देरी

शहर में बिल्डिंग निर्माण के लिए नया बायलॉज बनाया गया। डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी यह लागू नहीं हो सका। इधर, नगर निगम ने बिल्डिंग निर्माण पर रोक लगा दी है। नक्शा पास नहीं किए जा रहे हैं। इस वजह से रियल एस्टेट बैकफुट पर आ गया है। शहर में कंस्ट्रक्शन का काम रुक-सा गया है। ईंट से ईंट जोड़कर बहुमंजिली इमारत खड़ी होने के इंतजार में रियल एस्टेट के 10 हजार करोड़ रुपए फंसे हैं। बिल्डर, इन्वेस्टर और आम लोग... किसी के पैसे कहीं बिल्डिंग निर्माण अधूरे होने की वजह से फंसे हैं तो कहीं अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने के इच्छुक लोग बैंक से लोन लिए हैं।

1200 निर्माण पर है रोक : नगर निगम क्षेत्र में 1200 नई बिल्डिंग निर्माण पर रोक लगाई गई है। 20 फीट से कम चौड़ी सड़क में अपार्टमेंट का निर्माण, अवैध तरीके से नक्शा पास कराने आदि के आरोप में इन भवनों की जांच चल रही है।

बिहार से लौट रहे हैं निवेशक : बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष मणिकांत कहते हैं कि रियल स्टेट के क्षेत्र में करीब दस हजार करोड़ फसा है। बिल्डिग निर्माण की जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच के नाम पर लोगों को परेशान नहीं किया जाए। निगम जांच की प्रक्रिया में तेजी लाए। नक्शा पास नहीं होने के कारण बाहर से निवेशक नहीं आ रहे हैं।

9 फीसदी हिस्सेदारी बिहार के विकास में कंस्ट्रक्शन सेक्टर का है
5 फीसदी हिस्सेदारी सिर्फ रियल एस्टेट का है

बिल्डिंग बायलॉज में देर से नुकसान : • बालू गिट्टी सीमेंट और छड़ का बाजार मंदा • कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कारोबारियों का फंसा है पैसा • लोन पर बैंक का बढ़ रहा ब्याज • रोजी-रोजगार के लिए भटक रहे मजदूर • कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों में निराशा • पटना में रियल एस्टेट उद्योग में निवेशकों की घटने लगी रुचि • बड़ी कंपनियां हैदराबाद, बेंगलुरू और एनसीआर की ओर निवेश करने में दिखा रही अधिक रुचि। (साभार : दैनिक भास्कर, 2.4.2014)

मकान बनाना हो जाएगा और महंगा

10 प्रतिशत बढ़ेगा ईंट पर टैक्स

पहली अप्रैल से ईंट पर 10 प्रतिशत वाणिज्य कर बढ़ जाएगा। सरकार इसकी घोषणा पहले ही कर चुकी है।

नए टैक्स रेट से बढ़ेगी मकान बनवाने की लागत

क्षेत्र	वर्तमान	अप्रैल से
1000	12,00,000	12,60,000
1500	18,00,000	18,90,000
2000	24,00,000	25,20,000

नोट: क्षेत्र स्क्वायर फीट में। राशि रुपए में।

क्षेत्र-1 पटना, भुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया एवं दरभंगा 45 लाख ईंट उत्पादन क्षमता		क्षेत्र-2 उक्त जिले छोड़कर अन्य शहरी क्षेत्र 35 लाख ईंट उत्पादन क्षमता		क्षेत्र-3 ग्रामीण क्षेत्र 25 लाख ईंट उत्पादन क्षमता	
प्रस्तावित कंपाउंडिंग राशि		प्रस्तावित कंपाउंडिंग राशि		प्रस्तावित कंपाउंडिंग राशि	
₹ 1,38,000	वर्ष 2013-14	₹ 1,10,000	वर्ष 2013-14	₹ 83,000	वर्ष 2013-14
₹ 1,52,000	वर्ष 2014-15	₹ 1,21,000	वर्ष 2014-15	₹ 91,000	वर्ष 2014-15
₹ 1,67,000	वर्ष 2015-16	₹ 1,33,000	वर्ष 2015-16	₹ 1,00,000	वर्ष 2015-16

(विस्तृत: हिन्दुस्तान, 31.3.2014)

निम्नांकित की विस्तृत जानकारी हेतु चैम्बर से सम्पर्क करें

• HUF की संपत्ति/पूंजी की आवश्यकता व उसका स्त्रोत • 2. वसीयतनामा • गिफ्ट डिक्लेरेशन डीड • HUF के कर निर्धारण सम्बन्धी प्रावधान • आयकर छापा क्या होता है • कैसे डाला जाता है आयकर छापा • तलाशी के समय करदाता के अधिकार एवं कर्त्तव्य • जब्त वस्तुओं का स्पष्टीकरण कैसे दें? • छापे के बाद आयकर निर्धारण • सर्च से कैसे बचा जा सकता है? • आयकर फाईल के स्थानांतरण के लिये आवेदन। (साभार : टैक्स पत्रिका मार्च-अप्रैल, 2014)

संबंधी वकीलों को पेशी से नहीं रोक सकते जज —सीजेआई

सर्वोच्च न्यायालय के 41वें नए मुखिया सीजेआई जस्टिस राजेंद्र मल लोढ़ा ने 27.4.2014 को कहा है कि जजों के भाई-भतीजों और परिवारजनों को अपने कोर्ट में पेश होने से रोकना जजों का काम नहीं है। यह काम बार काउंसिल का है, जिन्हें इस संबंध में प्रोएक्टिव भूमिका निभाकर ऐसे वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने यह बात सीजेआई की शपथ लेने के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कही। (साभार : हिन्दुस्तान, 28.4.2014)

रिश्वत वापस करने पर भी खत्म नहीं होगा केस — कोर्ट

भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार का मुकदमा समाप्त नहीं किया जा सकता चाहे आरोपी ने भ्रष्टाचार से अर्जित राशि लौटा ही क्यों न दी हो। (विस्तृत: हिन्दुस्तान, 9.4.2014)

पीएमसीएच : अब मौत के दिन ही मिल जायेगा मृत्यु प्रमाण-पत्र

पीएमसीएच में मरीज की मौत होने पर अब परिजनों को मृत्यु प्रमाणपत्र लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब वार्ड में ही यह उपलब्ध करा दिया जायेगा। इसके लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किया गया है। यह योजना सप्ताह भर में लागू हो जायेगी। (विस्तृत: प्रभात खबर, 23.4.2014)

जान न ले ले दवाओं की पहरेदारी

मिर्गी, टीबी और कुछ एंटीबायोटिक दवाओं की किल्लत ने मरीजों की परेशानी बढ़ा दी है। यह किल्लत शेड्यूल एच वन में इनके शामिल होने से पैदा हुई है। नियम कानून सख्त होने से दवा कारोबारी इनको बेचने से बच रहे हैं। रिटेलरों ने रिकार्ड रखने से बचने के चक्कर में इन दवाइयों को रखना बंद कर दिया है, जबकि न्यूरो, टीबी जैसी गंभीर बीमारियों की इन दवाइयों की एक खुराक का नागा भी खतरनाक माना जाता है।

प्रावधान : डॉक्टर की पर्ची के साथ ही रखनी होगी मरीज की डिटेल

1. केंद्र सरकार ने नार्कोटिक्स न्यूरो, एंटीबायोटिक्स की 46 प्रकार की दवा शेड्यूल में शामिल किया है। 2. शेड्यूल एच-1 और नार्कोटिक्स के तहत आने वाली सभी दवाइयां बिना एमबीबीएस डॉक्टर के पर्चे के नहीं बिक सकेंगी। 3. मेडिकल स्टोर संचालकों को डॉक्टर द्वारा लिखे गए पर्चे को तीन साल तक हिसाब-किताब के साथ संभालकर रखना होगा। 4. मरीज की डिटेल मोबाइल नंबर के साथ रखनी होगा। 5. जितनी डोज पर्जी पर लिखी है, उतनी ही दवा देनी है।

परेशानी : ग्रामीण क्षेत्रों में एमबीबीएस डॉक्टर कम, होगी परेशानी

1. ग्रामीण क्षेत्रों में एमबीबीएस डॉक्टर नहीं, तब पर्ची कहां से बनवा पाएंगे। 2. देहात का मरीज शहर में आएगा तो इलाज में ज्यादा खर्च होगा। 3. तीन साल तक रिकार्ड रखने में छोटे दुकानदारों को परेशानी। 4. डॉक्टर की पर्ची को दुकानदार को देने में आनाकानी कर रहे हैं मरीज। 5. रिकार्ड के लिए मोबाइल नंबर और पता पूछने पर कर रहे हैं आपत्ति 6. न्यूरो के मरीजों को होगी ज्यादा परेशानी, इसमें आमतौर पर छह माह या एक साल की दवा लिखी जाती है।

पहले रिटेलर फोन पर कराते थे बुकिंग

"शिकायतें आ रही हैं पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले रिटेलर फोन पर बुकिंग करा लेते थे। अब आर्डर लिखित में लेटरपैड पर देना होगा। तभी थोक दुकानदार उन्हें दवा दे सकते हैं। ऐसे में रिटेलर के लिए दुकान बंद कर खरीदारी महंगी पड़ रही है। इसीलिए कई रिटेलरों ने इन्हें लेना बंद कर दिया है।"

–परसन कुमार सिंह, अध्यक्ष, बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्टस एसोसिएशन

रोजाना की दवा में ज्यादा दिक्कत

"दिक्कत तो आ रही है। एसोसिएशन के पास थोक दुकानदारों और डिस्ट्रीब्युटर की शिकायत भी आ रही है। शेड्यूल एच वन की दवाइयों को अब लोग नहीं चाहते हैं। दिक्कत यह है कि इसमें कई कॉमन दवा है, इसलिए ग्राहकों के साथ रिटेल दुकानदारों की बहस भी हो रही है। सरकार ही इसमें कुछ कर सकती है।"**–प्रदीप चौरसिया**, कोषाध्यक्ष, बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 21.4.2014)

कहीं से प्राथमिकी दर्ज कराएं रेल यात्री

ट्रेन यात्रा के दौरान अगर आपके साथ चोरी या कोई अन्य अपराध होता है तो आपको क्षेत्राधिकार को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप यात्रा के दौरान या यात्रा समाप्ति के बाद कहीं से भी प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं।

हाल में हुए एक निर्णय के अनुसार यात्री किसी भी रेलवे स्टेशन पर शून्य प्राथमिकी दर्ज कराकर त्वरित कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। नई दिल्ली रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्स मुकेश मीणा ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने वाला पुलिस थाना तत्काल प्राथमिकी की एक प्रति उस थाने को फैक्स करेगा जहां वारदात हुई है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 15.3.2014)

ट्रेन छूटने पर मत होइए परेशान, मिलेगा रिफंड

यदि आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश ट्रेन छूट जाये तो अब टिकट रिफंड को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेल प्रशासन ने टिकट रिफंड का नया नियम बनाया है।

इसके तहत 60 दिनों के अंदर टिकट का पैसा वापस लिया जा सकता है। इसके लिए यात्रियों को ट्रेन छूटने के तीन घंटे के अंदर ही टिकट डिपोजिट रिसिप्ट (टीडीआर) फॉर्म भरना होगा, इ-टिकट पर ऑनलाइन टीडीआर भरा जा सकेगा।

अन्य टिकटों की वापसी के नियम

कनफर्म टिकट : ट्रेन छूटने के 48 घंटे पहले तक एसी प्रथम श्रेणी में 120 रूपये, एसी द्वितीय श्रेणी में 100 रुपये, थर्ड एसी व एसी चेयरकार में 90 रुपये, शयनयान श्रेणी में 60 रुपये व सेकेंड सीटिंग में 30 रुपये कटेंगे। 24 घंटे पहले तक किराये का 25 फीसदी व 6 घंटे पहले किराये का 50 फीसदी कटेगा।

प्रीमियम ट्रेन : ट्रेन में सिर्फ एसी थर्ड व स्लीपर कोच है। 15 दिन पूर्व टिकट की बुकिंग इ टिकट के माध्यम से होती है। किराया वापसी का प्रावधान नहीं है। ट्रेनों में सिर्फ कनफर्म व आरएसी टिकट ही मिलता है। कैटरिंग चार्ज किराये में समाहित है।

वेटिंग व आरएसी टिकट : वेटिंग और आरएसी टिकटों के रिफंड पर मामूली चार्ज लगता है। एसी में प्रति यात्री चार्ज 35 रुपये व नॉन एसी में चार्ज 30 रूपये है।

"टिकट वापसी के नये नियम से रेल यात्रियों को सुविधा मिलेगी। यात्री केवल फॉर्म भर कर टिकट वापसी सुनिश्चित करा सकेंगे।

– अरविन्द्र कुमार रजक, सीपीआरओ, पूर्व मध्य रेल

स्टेशन मास्टर के पास मिलेगा फॉर्म : टिकट रिफंड के लिए टीडीआर फॉर्म भर कर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। स्टेशन मास्टर के पास मिलनेवाले उक्त फॉर्म को भरने के बाद यात्री 60 दिनों के अंदर टिकट वापस कर सकते हैं। नियमानुसार ट्रेन छूटने के तीन घंटे के अंदर ही टीडीआर फॉर्म भरना होगा। उक्त फॉर्म भरने के बाद एक नंबर मिलेगा। इस आधार पर 60 दिनों के अंदर टिकट की वापसी हो सकेगी।

(साभार : प्रभात खबर, 9.4.2014)

नई साइट से तत्काल टिकट मिलना आसान

रेल यात्रियों के लिए राहत वाली खबर है, क्योंकि अब तत्काल टिकट लेने की प्रक्रिया और आसान हो गई है। आईआरसीटीसी ने यात्रियों की सुविधा के लिए 'आईआरसीटीसी लाइट' वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन तत्काल टिकट लेने की व्यवस्था की है। सुबह 9.30 बजे से 12 बजे तक इस साइट के जरिए केवल तत्काल टिकट लिया जा सकता है। इस नई साइट में इस तरह की व्यवस्था है, जिसके चलते आईआरसीटीसी के सर्वर पर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। **(विस्तृत: दैनिक भास्कर, 22.3.2014)**

काउंटर से रेलवे टिकट खरीदना होगा महंगा

रेलवे टिकटों की ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा देने के लिए काउंटर पर बिकने वाले टिकटों को भारतीय रेल महंगा कर सकती है, जबकि ऑनलाइन टिकट पुरानी दर पर ही मिलेगा। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 4.4.2014)**

मोबाइल पर मिलने लगा आरक्षित टिकट का अपडेट

रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए पीआरएस काउंटर से लिए गए आरक्षित टिकट के अपडेट की जानकारी मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से देने की सुविधा प्रारंभ कर दी गयी है। वैसे यह सुविधा एक अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन इसे मार्च से ही प्रारंभ कर दिया गया है। यह जानकारी पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अरविंद कुमार रजक ने दी। यात्रियों अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा आरक्षण मांग पत्र में दिए गए मोबाइल नम्बर पर आरक्षित टिकट के आरएसी एवं प्रतीक्षा सूची वाले सभी यात्रियों को चार्ट बनने के बाद की स्थिति एसएमएस के माध्यम से भेजने के लिए एसएमएस अलर्ट सेवा शुरू की गई है। **(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 2.4.2014)**

ट्रेन के आते ही वाटर सप्लाइ बंद

पटना जंकशन पर वाटर सप्लाइ मैनेज के खेल में उलझ गयी है, ट्रेन के पीक आवर में मेन सप्लाइ प्वांइट को बंद कर दिया जा रहा है। मजबूर होकर यात्री सील पैक बोतल के लिए जेब ढीली कर रहे हैं। यह खेल वेंडरों और वालमैन के बीच सांठगांठ के जरिये हो रहा है। कमीशन के चक्कर में वालमैन का इस्तेमाल कर वेंडर पानी की सेल बढ़ाने में जुटे हैं। जंकशन के प्लेटफॉर्म पर एमआरपी से ज्यादा पैसा लेकर पानी का बोतल, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स व अन्य खाद्य सामग्री बेचे जाने के मामले का खुलासा होने के बाद एक और राजफांस हुआ है।

पिक आवर में होता ठप : सुबह 10 से लेकर दोपहर 1 बजे तक प्लेटफॉर्म नंबर दो से सात तक पर कुछ मुख्य ट्रेनों का तहराव होता है। इस अवधि में बाहर की ट्रेने आती हैं। इनमें ब्रह्मपुत्रा, पूर्वा, विक्रमशिला एक्सप्रेस आदि शामिल है। यात्री सफर के दौरान पानी के नाम पर दोहरी मार झेलते हैं। एक तो टोटी में पानी नहीं मिलता , ऊपर से सील पैक बोतल एमआरपी से ज्यादा रेट पर दिया जाता है।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 8.4.2014)

Extra in name of 'super charge'

टिकट के नाम पर हो रही अवैध वसूली

सुपर चार्ज के नाम पर लूट रहा है रेलवे का बुकिंग क्लर्क

करोड़ों रुपए हर साल पैसेंजर्स से टिकट के रूप में वसूल रहे दानापुर डिविजन की व्यवस्था इन दिनों लचर चल रही है। पटना जंक्शन पर पैसेंजर्स को टिकट के नाम पर लूटा जा रहा है। आईनेक्स्ट टीम ने जब पटना जंक्शन स्टेशन की पड़ताल की तो सामने आया कि पैसेंजर्स से कभी सुपरफास्ट चार्ज के नाम पर तो कभी चेंज नहीं होने के नाम पर रेट से अधिक पैसा वसूला जा रहा है। इनमें से अधिकतर पैसेंजर्स लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने आते हैं। खासकर पटना जंक्शन के टिकट काउंटर पर जनरल टिकट काटने वाले पैसेंजर्स के साथ लूटखसोट तक की जा रही है।

क्या कहता है रेलवे का नियम : रेलवे के बनाए गए रुल्स को देखा जाए तो कम्प्यूटराइज्ड टिकट पर निर्धारित रेट सभी को जोड़कर लिया जाता है। इसलिए इस पर अलग से कोई चार्ज लेने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि अलग से चार्ज लिया जा रहा है तो फिर कम्प्यूराइज्ड टिकट का कोई मतलब नहीं है।

(विस्तृत : आई-नेक्स्ट, 8.4.2014)

पाटलिपुत्र जंक्शन अब चालू हो सकेगा

पाटलिपुत्र जंक्शन के चालू होने की उम्मीद बढ़ गई है। जंक्शन के रास्ते का विवाद हल होता दिख रहा है। रेलवे प्रशासन सड़क के लिए राज्य सरकार को जमीन देने को तैयार है। इसकी एवज में रेलवे ने 1.39 करोड़ मांगे है।

पूर्व मध्य रेलवे ने राज्य के पथ निर्माण विभाग के सचिव को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि वाजिब कीमत मिले, तो रेलवे अपनी जमीन देने को तैयार है।

• 500 करोड़ का है पूरा प्रोजेक्ट • 2002 से शुरू हुआ निर्माण कार्य • 06 माह से रुका है उद्घाटन • 03प्लेटफॉर्म बने, दो और बनेंगे

उत्तर बिहार को लाभ : • उत्तर बिहार जाने वाली ट्रेनें पाटलिपुत्र से निकलेंगी • मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा जानें में होगी आसानी • पटना स्टेशन के ऊपर लोड कम हो सकेगा।

ये ट्रेनें चलेंगी : • पाटलिपुत्र-चंडीगढ़ एक्सप्रेस • दानापुर-यशवंतपुर • संघमित्रा भी शिफ्ट की जाएगी • राजेंद्र नगर-मुंबई एक्सप्रेस • दिल्ली की ओर जाने वाली एक ट्रेन।

प्रदेश के यात्रियों को मिल सकेगी राहत : • पटना आने वाली ट्रेनों की आवाजाही सुगम होगी • प्लेटफॉर्म खाली होने का इंतजार नहीं करना होगा • पटना से खुलने वाली ट्रेनें पाटलिपुत्र शिफ्ट होंगी।

पटनावासियों के लिए सुविधाजनक होगा स्टेशन : • बेली रोड व आसपास के लोग पाटलिपुत्र से ट्रेन पकड़ सकेंगे • पटना जंक्शन पहुचने में नहीं झेलना पड़ेगा ट्रैफिक जाम का झंझट • ट्रेन की लेटलतीफी से पटना पहुंचने में देरी से मिल सकेगी।

(साभार: हिन्दुस्तान, 14.3.2014)

तीन वर्ष में दीघा-दीदारगंज फोरलेन

राजधानी में गंगा किनारे दीघा से दीदारगंज तक फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य तीन वर्षों में पूरा हो जाएगा। फोरलेन सड़क के साथ ए. एन. सिन्हा संस्थान से गायघाट तक एलिवेटेड सिग्नेचर ब्रिज भी बनेगा। वहीं एम्स पटना से दीघा के बीच एलिवेटेड फोरलेन रोड दो वर्षों में बन जाएगा। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन के 5वें स्थापना दिवस समारोह में पथ निर्माण विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत ने यह जानकारी दी।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 21.4.2014)

अब ट्रेन के गेट पर खड़े दिखे, तो जुर्माना रुपया 500

• एक अप्रैल से लागू आदेश • रेलवे ने जुर्माने की राशि में किया ढ़ाई गुने का इजाफा • ट्रेन से गिर कर होनेवाली मौतों को लेकर रेल मंत्रालय संजीदा।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 19.3.2014)

बिहार में लीची उत्पादन में होगा 20 प्रतिशत इजाफा!

राज्य में औसतन 2.3-2.5 लाख टन लीची का उत्पादन होता है। हालांकि इस साल अब तक राज्य सरकार को 2.5-2.7 लाख टन तक लीची उत्पादन की उम्मीद है। राज्य सरकार के अधिकारी इसके लिए बागानों के बेहतर प्रबंधन की भी भूमिका बता रहे हैं।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 26.4.2014)

कम आम, बढ़ेंगे दाम

बिहार में इस साल आम का उत्पादन कम रहने की जताई जा रही आशंका

• राज्य सरकार के अनुसार इस बार प्रदेश में आम की पैदावार 20 प्रतिशत तक रह सकती है कम • राज्य में करीब 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होता है सालाना 2.5 लाख टन आम का उत्पादन • तापमान में उतार-चढ़ाव और कीटों के हमले से उत्पादन पर पड़ेगा असर • उत्पादन कम रहने से इस साल आम की कीमतें बढ़ सकती हैं 40-50 प्रतिशत तक।

(विस्तृत: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 30.4.2014)

बिहार की टेंगरा जा रही अमृतसर

उम्मीद मत्स्य पालन में चार जिले आत्मनिर्भर

सीवन, गोपालगंज, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण में आयात बंद

मछली उत्पादन में बिहार के चार जिले गोपालगंज, सीवान, पूर्वी चंपारण व पश्चिमी चंपारण आत्मनिर्भर हो गये हैं। इन जिलों में मछली का आयात बंद हो गया है। यहां की मछलियां अब आसपास के जिलों में बेची जा रही है। गोपालगंज के एक मछलीपालक ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के बराबर उत्पादन किया है। राज्य में पिछले साल चार लाख 20 हजार टन मछली का उत्पादन हुआ था। विभाग के निदेशक निशात अहमद ने बताया कि बिहार में मछली की सालाना खपत पांच लाख 80 हजार टन होती है। दो साल के अंदर बिहार मछली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेगा। बिहार में बुआरी व टेंगरा की मांग कम है, लेकिन दूसरे राज्यों में अधिक है, बख्तियारपुर व मुजफ्फरपुर से अमृतसर भेजी जा रही है। खगड़िया से सिलीगुड़ी व दरभंगा जिले के कुश्वेश्वर स्थान से भूटान के लिए मछली का निर्यात किया जा रहा है।

मछली उत्पादन की संभावनाएं अधिक : • 5,80,000 टन मछली की सालाना खपत • 4,20,000 टन उत्पादन • 3200 किमी नदियां • 3878 हेक्टेयर चौर, बाढ़ग्रस्त व जलजमाववाले क्षेत्र • 16172 हेक्टेयर झील व मन • 8612 हे० जल भंडारणवाले क्षेत्र • 25103 हेक्टेयर तालाब व पोखर।

(साभार: हिन्दुस्तान, 24.4.2014)

पटना के सुध बूथों में बिकेगी नालंदा की जैविक सब्जी

बिहारशरीफ समेत जिले के जैविक सब्जी उत्पादकों के दिन बहुरने वाले हैं। नालंदा की जैविक सब्जियां पटना में सुधा दूध के बूथों पर बिकेंगी। फिलहाल ईको पार्क से समीप के दो बूथों पर सब्जियां रखी जाएंगी। इसके बाद सभी बूथों पर ऐसा करने की योजना है। इसके लिए कम्फेड और कृषि विभाग के बीच समझौता हुआ है। ऐसा होने से नालंदा के किसानों को मार्केटिंग के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

कम्फेड और कृषि विभाग के बीच हुआ समझौता : • नालंदा बायो प्रोडक्ट के नाम से बिकेगी जैविक सब्जी। • यहां के जैविक उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी बेचा जा सकता है, क्योंकि इसका फ्रांस की कंपनी 'इकोसर्ट' से सर्टिफिकेशन कराया गया है। • सत्नाम ऑर्गेनिक, लुधियाना, ग्लोबल फूड, मुम्बई, एजीके प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, नेचर एग्रो प्रोडक्ट, कोलकाता, ऑर्गेनिक गार्डेन, नासिक से किसानों के फेडरेशन के बीच करार हुआ है। • संभव है कि जून से पटना के सुधा बूथों पर बिकने लगेंगी जैविक सब्जियां।

(विस्तृत: हिन्दुस्तान, 3.5.2014)

कार लोन के लिए ब्याज दरें (% में)

बैंक	ब्याज दर	भुगतान अवधि
कारपोरेशन बैंक	10.75-11.25	सात साल तक
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	10.75-11	तीन और सात साल
पंजाब नेशनल बैंक	11.25-11.75	तीन और सात साल
भारतीय स्टेट बैंक	10.95	सात साल तक
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	12.05-12.55	तीन और सात साल
इंडियन ओवरसीज बैंक	10.75	सात साल तक
सिंडिकेट बैंक	10.85	सात साल तक
यूको बैंक	11.50-13.75	सात साल तक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.45	सात साल तक
विजया बैंक	10.65	सात साल तक

(साभार: प्रभात खबर, 21.4.2014)

चैम्बर के नये सदस्यों का स्वागत

जे. जे. फाउण्ड्री लि० के प्रबंध निदेशक, श्री गिरिजा शंकर प्रसाद को सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में चैम्बर के अन्य पदाधिकारीगण।

जगदीश इंजीनियरिंग कम्पनी के प्रोपराइटर श्री अशोक कुमार को सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में चैम्बर के अन्य पदाधिकारीगण।

दिनांक 29 मार्च, 2014 को कार्यकारिणी समिति की बैठक में जिनकी सदस्यता स्वीकृत हुई थी, उनका कार्यकारिणी समिति की दिनांक 10 मई, 2014 को सम्पन्न बैठक में चैम्बर अध्यक्ष ने सदस्यता प्रमाण-पत्र प्रदान कर स्वागत किया। इस अवसर पर दो सदस्य किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाये थे। 29 मार्च, 2014 को जिनकी सदस्यता स्वीकृत की गई, वे हैं – **1. मेसर्स एल० वी० इन्टरप्राइजेज प्रा० लि०,** इण्डस्ट्रीयल एरिया, हाजीपुर (वैशाली) **2. मेसर्स जे० जे० फाउंड्री लि०,** अगमकुआँ, गुलजारबाग, पटना **3. मेसर्स जगदीश इंजीनियरिंग कम्पनी,** एक्जीविशन रोड, पटना **4. मेसर्स ओरियेंट जेनरल डीलर्स,** अशोक राजपथ, पटना।

क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(ISO 9001-2008 से प्रमाणित कार्यालय)
"पंचदीप भवन" जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना- 800001
दूरभाष-0612-2521928, फैक्स : 0612-2533314

सर्वक्षमा योजना

नियोजक/कर्मचारी कृपया ध्यान दें।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिनांक 28.01.2014 से 27.01.2015 तक ऐसे बीमित व्यक्तियों एवं नियोजकों के लिए, जिनके विरूद्ध कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 84, 85 एवं 85-क के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है तथा 31 दिसंबर, 2013 तक नियोजकों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1984 की धारा 75 एवं धारा 82 के तहत दायर मुकदमे और अपील के निपटारे के लिए एक **नयी सर्वक्षमा योजना** की शुरुआत की है, बशर्ते कि योजना में निहित शर्तों को वे पूरा करते हैं।

ऐसे बीमित व्यक्ति/नियोजक जो सर्वक्षमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे विहित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करें। विस्तृत जानकारी तथा विहित प्रपत्र हमारे बेवसाईट www.esic.nic.in (Instructions/Circulars/Orders-Benefit & Revenue - Sl. No. 47/14-BR) से प्राप्त कर सकते हैं।

अन्य सूचना एवं मार्गदर्शन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय की विधि शाखा, किसी भी शाखा कार्यालय या किसी भी सामाजिक सुरक्षा अधिकारी से सपंर्क कर सकते हैं।

–क्षेत्रीय निदेशक

(साभार : प्रभात खबर, 30.4.2014)

पटना में पांच किलो के सिलेंडर पेट्रोल पंप पर मिलेंगे

कीमत 550-600 रुपए के बीच रहने के आसार

इंडेन कंपनी के 5 किलोग्राम के सिलेंडर 10-15 दिनों में पटना में बाजार दर पर मिलने लगेंगे। कंपनी ने कीमतें अभी तय नहीं की हैं। उम्मीद है कि प्रति किलोग्राम दर 112-120 रुपए हो सकती है। शुरुआती दौर में इन सिलेंडरों की बिक्री कंपनी द्वारा संचालित पेट्रोल पंपों से की जाएगी। साथ ही इसे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा वितरित करने पर भी विचार किया जाएगा। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 8.4.2014)**

आवेदनकर्ता को पावती पर्ची देना हुआ अनिवार्य

सरकारी कार्यालयों में आवेदन देने वालों को पावती पर्ची देना अनिवार्य कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी व संलग्न कार्यालयों के प्रधान अधिकारियों को पत्र लिख कर पावती पर्ची अनिवार्य रूप से देने का निर्देश दिया है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। अब किसी भी आवेदन पर सिर्फ संक्षिप्त हस्ताक्षर या आड़ी तिरछी लकीर खींच कर उसकी दूसरी प्रति आवेदक को देने से काम नहीं चलेगा।

आवेदन प्राप्तकर्ता को नाम, पदनाम व तिथि का उल्लेख करते हुए पूरा हस्ताक्षर कर पावती पर्ची देनी होगी। सरकारी दफ्तरों में लंबे समय से सिर्फ संक्षिप्त हस्ताक्षर कर आवेदन प्राप्त किया जाता रहा है। इससे कब किस कर्मी ने आवेदन रिसीव किया, इसका पता ही नहीं चल पाता था। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव जीएस गंगवार ने लोगों से अपील की है कि वे किसी प्रकार के आवेदन देने के बाद सरकारी कार्यालयों में तैनात कर्मी से पावती पर्ची की जरूर मांग करें। **(साभार : हिन्दुस्तान, 24.4.2014)**

सक्रिय अंशधारकों को अक्टूबर में स्थायी खाता संख्या देगा ईपीएफओ

कर्मचारी भविष्य निधि कोष संगठन (ईपीएफओ) अपने पांच करोड़ सक्रिय अंशधारकों को इस साल 15 अक्टूबर तक कोर बैंकिंग सेवाओं की तरह स्थायी या सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करेगा और इसके बाद अन्य सदस्यों को इस दायरे में लाया जाएगा। चालू वित्त वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की कार्य योजना में कहा गया है कि यूएएन प्राप्त करने के बाद उपभोक्ता को नयी कंपनी से जुड़ने पर नई भविष्य निधि खाता संख्या जारी करने की जरूरत नहीं होगी। इससे संगठित क्षेत्र के उन कर्मचारियों, विशेष तौर पर निर्माण क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो नौकरी बदलते रहते हैं।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 21.4.2014)

विनम्र निवेदन

माननीय सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2014-15 के सदस्यता शुल्क भुगतान हेतु चैम्बर की ओर से विपत्र भेजा जा चुका है। सदस्यों से अनुरोध है कि वर्त्तमान वर्ष के सदस्यता शुल्क के साथ यदि गत वर्ष का सदस्यता शुल्क भी बाकी हो, तो दोनो में 12.36 % Service Tax जोड़कर ही चैम्बर में चेक/ड्राफ्ट/नकद **BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES** के नाम में भेजने की कृपा करें।

EDITORIAL BOARD

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296